अभय कुमार पटेल एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2026 की दीवानी अपील सं. 54)

06 जनवरी, 2026

[जे. के. माहेश्वरी एवं विजय बिश्नोई, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 को वर्ष 2019 के विज्ञापनों पर उस स्थिति में लागू किया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी हो तथा औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित हो चुकी हो?

निर्णय सार लेखन

सेवा विधि – नियुक्ति/भर्ती/चयन – बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती नियमावली, 2019 – वर्तमान वाद में विवाद बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती नियमावली, 2019 में संशोधन के प्रतिगामी अनुप्रयोग से संबंधित है, विशेषतः नियम 8(5) के समावेशन से, जिसके द्वारा पूर्व संविदात्मक कार्यानुभव हेतु भारांक प्रदान करने का प्रावधान उस समय जोड़ा गया जब चयन प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा सम्मिलित थी, प्रारंभ हो चुकी थी तथा औपबंधिक मेधा सूची भी प्रकाशित हो चुकी थी – अपीलार्थियों ने बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रतिगामी अनुप्रयोग को चुनौती देते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की थी – उच्च न्यायालय ने उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज कर दिया – शुद्धता:

अभिनिर्धारित: वर्तमान वाद में, चयन प्रक्रिया न केवल प्रारंभ हो चुकी थी, बल्कि अपने अंतिम चरण में थी—लिखित परीक्षाएँ मार्च 2022 में आयोजित की गईं—परिणाम जून/जुलाई 2022 में

घोषित हुए—अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया—इस अवस्था तक चयन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी थी तथा रिक्तियों की पूर्ति के साथ उसका समापन होना था—ऐसी स्थिति में 2022 की संशोधन नियमावली का निर्गमन, जिसमें नियम 8(5) को दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव के साथ जोड़ा गया, उस खेल के नियमों को पुनर्लेखित करने का प्रयास है जो पहले ही प्रारंभ हो चुका था—लिखित परीक्षा के 100 अंकों में से 25 के भारांक को घटाकर 75 करना तथा 25 अंक संविदात्मक अनुभव के लिए जोड़ना, चयन के आधार को मूलतः परिवर्तित करता है और 'मेधा सूची में स्थान पाने की पात्रता के मानदंड' को बदल देता है, जो अनुमेय नहीं है— यद्यपि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत नियमों में संशोधन करने का अधिकार है, तथापि यह शक्ति असीमित नहीं है—प्रतिगामी विधिनिर्माण की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि अर्जित अधिकारों का हनन हो या ऐसी चयन प्रक्रिया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की पहचान औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन द्वारा हो चुकी है, को मनमाने ढंग से बाधित किया जाए—उत्तरदाताओं द्वारा मेधा सूची के "औपबंधिक" स्वरूप के संबंध में किया गया भेद असंगत है—यह सूची अभिलेख सत्यापन के अधीन औपबंधिक थी, न कि मेधा सूची में स्थान निर्धारण के मूल मानदंडों में परिवर्तन के अधीन— नियम 8(5) का प्रतिगामी अनुप्रयोग ऐसी विषमता उत्पन्न करता है, जिसमें अभ्यर्थियों ने एक नियमावली के अधीन प्रतिस्पर्धा की, किन्तु अब उनका मूल्यांकन भिन्न नियमों के अधीन, पश्चात् प्रभाव से किया जा रहा है—इससे अपीलार्थियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे मेधा सूची में नीचे धकेले जा सकते हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्णतः बाहर किए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हों, किन्तु नवीन रूप से जोड़े गए संविदात्मक सेवा के अंकों का लाभ प्राप्त कर रहे हों— उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि संशोधन मात्र एक नीतिगत निर्णय था तथा इसे प्रचलित चयन प्रक्रिया पर प्रतिगामी रूप से

लागू किया जा सकता है, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है—2019 के विज्ञापनों के अंतर्गत, उस समय प्रभावी 2019 की नियमावली के अनुसार प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा जोड़े गए नियम 8(5) का प्रतिगामी अनुप्रयोग विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता—अतः उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है। (कंडिका 34-38, 41, 42, 44)

न्याय दृष्टान्त

तेज प्रकाश एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य **[2024] 12 एस.सी.आर. 28 : (2025) 2 एस.सी.सी. 1 — अनुसरण किया गया।**

के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य **[2008] 2 एस.सी.आर. 1025 : (2008) 3 एस.सी.सी. 512;** *पार्थ दास बनाम त्रिपुरा राज्य,* **2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1844;** *शंकरसन दास बनाम भारत संघ* **[1991] 2 एस.सी.आर. 567 : (1991) 3 एस.सी.सी. 47 — संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती नियमावली, 2019; बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिगामी प्रभाव; खेल के नियम; नियमों में संशोधन की शक्ति; प्रतिगामी विधिनिर्माण; *पश्चात् प्रभाव;* लिखित परीक्षा; औपबंधिक मेधा सूची; पूर्व संविदात्मक कार्यानुभव; चयन प्रक्रिया; खेल के नियमों का पुनर्लेखन; पात्रता मानदंड; चयन के आधार में परिवर्तन; संविदात्मक सेवा हेतु अतिरिक्त अंक।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2026 की दीवानी अपील सं. 54

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 05.07.2023 के निर्णय एवं आदेश से उद्धृत, जो 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 18302 में पारित हुआ।

के साथ:

2025 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 8231

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता:

विजय कुमार, सुश्री कवीता वाडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता; मनोज कुमार श्रीवास्तव, विवेक जैन, मनोज कश्यप, शशांक त्रिपाठी, सुश्री छवि जैन।

उतरदाता(गण) की ओर से अधिवक्ता:

अंशुल नारायण, अभिन्ध्र माहेश्वरी, प्रेम प्रकाश, नवीन प्रकाश, स्मरहर सिंह, सुश्री श्वेता कुमारी, पंकज प्रकाश, धनंजय कुमार त्यागी, मोहम्मद असीम, मनोज कुमार, जय कृष्ण सिंह।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी

दीवानी अपील संख्या ______ वर्ष 2026

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलार्थियों द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज करते हुए पटना उच्च न्यायालय (जिसे आगे **"उच्च न्यायालय"** कहा जाएगा) द्वारा 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 18302 में पारित दिनांक 05.07.2023 के अंतिम निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. वर्तमान वाद में विवाद बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–द्वितीय भर्ती नियमावली, 2019 (जिसे आगे **"2019 नियमावली"** कहा जाएगा) में किए गए संशोधन के प्रतिगामी अनुप्रयोग से संबंधित है, विशेषतः नियम 8(5) के समावेशन से, जिसके द्वारा पूर्व संविदात्मक कार्यानुभव हेतु भारांक उस समय जोड़ा गया जब चयन प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा सम्मिलित थी, प्रारंभ हो चुकी थी तथा औपबंधिक मेधा सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी।

4. अपीलार्थियों ने बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–द्वितीय भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 (जिसे आगे ***"2022 संशोधन नियमावली"*** कहा जाएगा) के प्रतिगामी अनुप्रयोग को चुनौती देते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की थी, जो सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या धारा 02/स्थापना- नियुक्ति-01-01/2019-5565(एस), दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से जारी की गई थी, जिसके द्वारा 2019 नियमावली में 06.03.2019 से प्रभावी संशोधन किया गया।

5. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह कहते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज कर दिया कि 2022 संशोधन नियमावली का निर्गमन संविदा कर्मियों को भारांक प्रदान करने हेतु राज्य की एक नीतिगत निर्णय था तथा केवल मेधा सूची में नाम शामिल हो जाने मात्र से अपीलार्थियों को नियुक्ति का कोई अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त नहीं होता, और इसलिए उक्त संशोधन का प्रतिगामी अनुप्रयोग अवैध नहीं माना जा सकता। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

<u>संक्षेप में तथ्य</u>

6. वर्तमान वाद के पूर्ववृत्त के रूप में, बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने अधिसूचना संख्या 02/स्थापना-नियुक्ति-01-01/2018-3042(एस), दिनांक 06.03.2019 के माध्यम

से 2019 नियमावली अधिसूचित की। उक्त नियमावली राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पद पर भर्ती को विनियमित करने हेतु प्रवर्तित की गई थी। उक्त नियमों के नियम 8, 9, 12 तथा 13 उक्त उद्देश्य के लिए सुसंगत हैं, और निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं:

*"**8.** अभ्यर्थी –*

(1) उसकी आयु ऐसी होगी, जैसा कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाए,

(2) उसका आचरण उत्तम होगा,

(3) वह स्वस्थ होगा तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होगा,"

(4) (i) अभ्यर्थी भारत के किसी विश्वविद्यालय/संस्थान (एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त) से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए; अथवा,

(ii) केवल नियमित तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी भी डीम्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री मान्य होगी तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की डिग्री स्वीकार्य नहीं होगी;

(iii) अभ्यर्थी को इंजीनियर्स संस्था का सहयोगी सदस्य होना चाहिए या उसने इंजीनियर्स संस्था की किसी भी शाखा से 'ए' एवं 'एए' परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी ऐसे संस्थान से 'ए' एवं 'एए' परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसे इंजीनियर्स संस्था, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

टिप्पणी–

(1) कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में औपबंधिक अथवा कार्यवाहक क्षमता में या परिवीक्षा पर कार्यरत है, वह इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

(2) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर, सरकारी सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा:

(क) अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा के सदस्य; तथा

(ख) अन्य सेवाओं के सदस्य, जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट योग्यता रखते हैं, उन्हें इन नियमों के भाग-III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

xxx xxx xxx xxx xxx

9. *(क) प्रत्येक वर्ष, आवश्यकतानुसार, आयोग इस सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की घोषणा करेगा तथा नियम 5 एवं 6 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। परीक्षा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसे समय-समय पर आयोग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से परिवर्तित कर सकता है।*

बशर्ते कि आयोग किसी विशेष वर्ष की परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या सीमित कर सकता है तथा यदि अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है, तो आयोग प्रारंभिक चयन कर सकेगा और प्रारंभिक परीक्षा

(लिखित) के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकेगा।

xxx xxx xxx xxx xxx

12. *यह भी प्रावधानित है कि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता निर्धारित करते समय लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों को ही विचार में लिया जाएगा, न कि किसी विशेष विषय या विषयों में प्राप्त अंकों को।*

यह भी प्रावधानित है कि आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

xxx xxx xxx xxx xxx

13. *लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के नाम उनके आवेदन-पत्रों सहित आयोग द्वारा योग्यता एवं मेधा के क्रम में क्रमांकित किए जाएंगे। यह सूची राज्यपाल के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत की जाएगी।"*

7. बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे आगे **"बी.पी.एस.सी."** कहा जाएगा) ने विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल) के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए चार विज्ञापन जारी किए, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे **"2019 के विज्ञापन"** कहा जाएगा)।

विज्ञापन सं.	**विज्ञापन की तिथि**	**पद का स्वरूप**	**पदों की संख्या**	**संबंधित विभाग**
01/2019	08.03.2019	सहायक अभियंता	31	लोक निर्माण

		(सिविल)	83	विभाग लघु जल संसाधन विभाग
02/2019	08.03.2019	सहायक अभियंता (विद्युत)	33	लोक निर्माण विभाग
03/2019	13.09.2019	सहायक अभियंता (सिविल)	18	लघु जल संसाधन विभाग
04/2019	13.09.2019	सहायक अभियंता (मैकेनिकल)	10	लघु जल संसाधन विभाग

8. वर्ष 2019 की नियमावली के नियम 13 के अनुसार, अधिसूचित पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी। अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जानी थी।

9. चयन प्रक्रिया वर्ष 2019 के विज्ञापनों के निर्गमन के साथ प्रारंभ हुई तथा लिखित परीक्षा दिनांक 12.03.2022 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई तथा ऐसे औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों, जिनमें वर्तमान अपीलार्थी भी सम्मिलित हैं, को विभिन्न तिथियों पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि	संबंधित विज्ञापन
15.06.2022	30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022	01/2019
22.06.2022	06.07.2022	03/2019
22.06.2022	06.07.2022	04/2019
13.07.2022	20.07.2022	01/2019
19.07.2022	29.07.2022	02/2019
23.07.2022	27.07.2022	01/2019

10. इस बीच, तथा वर्ष 2019 के विज्ञापनों के अनुपालन में लिखित परीक्षा आयोजित होने के पश्चात्, बिहार राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कुछ व्यक्तियों द्वारा दिनांक 07.07.2022 को 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 9797 दायर किया गया, जिसमें 2019 की नियमावली को चुनौती दी गई। उनका मुख्य तर्क यह था कि उक्त नियमावली में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापन संख्या 3/एम0-13/2018 एस संख्या 12534/पटना-15, दिनांक 17.09.2018 तथा ज्ञापन संख्या 1003, दिनांक 22.01.2021 (जिन्हें क्रमशः **"2018 ज्ञापन"** एवं **"2021 ज्ञापन"** कहा गया है) के अनुरूप संविदात्मक आधार पर कार्यानुभव हेतु भारांक अथवा आयु में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में कोई निर्देश पारित किए गए थे; बल्कि दिनांक 23.03.2023 को इसे निरर्थक

घोषित करते हुए इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित कर दिया गया कि पृथक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की जा सकती है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट नहीं है कि तत्पश्चात् कोई अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई या नहीं।

11. वर्ष 2019 के विज्ञापनों के अनुसरण में औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन तथा अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, राज्य सरकार ने दिनांक 09.11.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2022 की संशोधन नियमावली अधिसूचित की। इस अधिसूचना द्वारा 2019 की नियमावली के नियम 8 में संशोधन करते हुए एक नया उप-नियम, नियम 8(5), जोड़ा गया, जिसके द्वारा बिहार राज्य के सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पद पर संविदात्मक आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति 100 अंकों पर अधिकतम 25 अंक तक अतिरिक्त भारांक प्रदान करने का प्रावधान किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिकतम भारांक 100 में से 75 अंक निर्धारित किया गया। उक्त संशोधन में यह भी उल्लेख किया गया कि "परीक्षा में प्राप्त अंकों के भारांक की गणना हेतु, प्राप्त प्रतिशत अंकों को 0.75 से गुणा किया जाएगा।" 2022 की संशोधन नियमावली को दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव से लागू किया गया, अर्थात् उसी तिथि से, जब मूल 2019 की नियमावली प्रभाव में आई थी। इसके अतिरिक्त, नियम 8(5)(iii) में यह प्रावधान भी किया गया कि संविदात्मक आधार पर कार्यरत सहायक अभियंताओं (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) को संविदा पर कार्य किए गए कालावधि के समतुल्य अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाएगी।

12. उक्त नियम 8(5), जिसे 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा जोड़ा गया, प्रासंगिक है और इसलिए इसे निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जाता है:

*"**8(5)** चयन का आधार –"*

(i) सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) संवर्ग के मूल श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य के अनुभव को वरीयता देते हुए, आयोग द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य के अधीन सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी (केंद्रीय सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों में प्राप्त कार्यानुभव को संविदा आधार पर किए गए कार्य के रूप में मान्य माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पद पर संविदा के आधार पर कार्य किया है और जो इस संवर्ग में भर्ती हेतु आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें इस नियम के उप-नियम (ii) के अनुसार अतिरिक्त अंक प्रदान कर चयन में वरीयता दी जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी:

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का भारांक।	*75 अंक*
(ख) संविदा के आधार पर कार्यानुभव हेतु अधिकतम भारांक– (प्रत्येक कार्य वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम	*25 अंक*

25 अंकों तक सीमित होंगे। कार्यानुभव के किसी अंश वर्ष के लिए आनुपातिक भारांक की गणना कार्य दिवसों की संख्या को 5 से गुणा कर 365 से विभाजित करके की जाएगी)।	
कुल –	*100 अंक*

टिप्पणी – परीक्षा में प्राप्त अंकों के भारांक की गणना करने हेतु, प्राप्त प्रतिशत अंकों को 0.75 से गुणा किया जाएगा।

(iii) संविदा के आधार पर पहले से कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) को संविदा पर कार्य किए गए कालावधि के समतुल्य अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में इस शिथिलता के लिए बिहार राज्य के अधीन सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी (केंद्रीय सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों में प्राप्त कार्यानुभव को मान्य माना जाएगा। संविदा के आधार पर कार्य की अवधि का निर्धारण संबंधित नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा जारी वेतन भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि तक की अवधि को कार्यानुभव के रूप में गणना की जा सकती है।

13. अपीलार्थियों, जिन्होंने वर्ष 2019 के विज्ञापनों के अनुसरण में तथा 2019 की नियमावली के अनुरूप तैयार की गई औपबंधिक मेधा सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर

लिया था, ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 18302 दायर कर निम्नलिखित प्रार्थनाएँ कीं—

i. *उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश, उत्प्रेषण के स्वरूप में, जारी कर अधिसूचना, ज्ञापन संख्या 5565(एस) दिनांक 09.11.2022, जो बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत है, को इस सीमा तक निरस्त किया जाए कि वह बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-द्वितीय भर्ती नियमावली, 2019 के नियम 8(5) में किए गए संशोधन को दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव से लागू करने तथा उस तिथि से भारांक एवं आयु में शिथिलता प्रदान करने का निर्देश देता है।*

ii. *उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश, परमादेश के स्वरूप में, जारी कर उतरदाताओं को निर्देशित किया जाए कि वे अधिसूचना, ज्ञापन संख्या 5565(एस) दिनांक 09.11.2022 को दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव से लागू न करें।*

iii. *उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश, परमादेश के स्वरूप में, जारी कर उतरदाताओं को निर्देशित किया जाए कि वे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित मेधा सूचियों—दिनांक 15.06.2022 (विज्ञापन संख्या 01/2019 के संबंध में), दिनांक 22.06.2022 (विज्ञापन संख्या 03/2019 एवं 04/2019 के संबंध में) तथा दिनांक 19.07.2022 (विज्ञापन संख्या 02/2019 के संबंध में)—में, 09.11.2022 की अधिसूचना के माध्यम से लागू 2022 की संशोधित नियमावली के आधार पर कोई हस्तक्षेप न करें।*

iv. *उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश, परमादेश के स्वरूप में, जारी कर उतरदाताओं को निर्देशित किया जाए कि वे बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पद हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 15.06.2022, 22.06.2022 एवं 19.07.2022 को प्रकाशित मेधा सूचियों के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।*

v. *यह घोषित एवं अभिधारित किया जाए कि अधिसूचना, ज्ञापन संख्या 5565(एस) दिनांक 09.11.2022, मेधा सूची के प्रकाशन के पश्चात्, दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव नहीं रख सकती।*

vi. *वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को जिन अन्य राहतों का अधिकार हो, वे भी प्रदान की जाएँ।*

14. अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ हो जाने के पश्चात् 2022 की संशोधन नियमावली को प्रचलित चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता था। 2019 की नियमावली, जिसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, में भारांक प्रदान करने या आयु में शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं था। अतः वर्तमान अपील में हम नियम 8(5) या 2022 की संशोधन नियमावली की वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा परीक्षण केवल इस सीमा तक है कि इसे उस प्रचलित भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जा सकता है या नहीं, जो 2019 के विज्ञापनों के अंतर्गत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

15. उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज करते हुए यह पाया कि संविदा कर्मियों को भारांक एवं आयु में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय, इस प्रकार के लाभ

प्रदान करने संबंधी पूर्ववर्ती वर्ष 2018 की नीति के अनुरूप लिया गया था। यह भी अभिलिखित किया गया कि अपीलार्थियों ने केवल चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उस चरण पर उनके पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था। न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत विधिनिर्माण की शक्ति में प्रतिगामी विधिनिर्माण की शक्ति भी सम्मिलित है। चूँकि न्यूनतम आवश्यक योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और अपीलार्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया था, अतः 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा जोड़े गए नियम 8(5) के प्रतिगामी अनुप्रयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

<u>अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

16. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय कुमार ने प्रबल रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि चयन प्रक्रिया का संचालन उसी नियमावली एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए जो विज्ञापन की तिथि पर प्रभावी थीं। यह प्रस्तुत किया गया कि 2019 के विज्ञापन जारी होने के समय प्रभावी 2019 की नियमावली में चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर निर्धारित था और उसमें संविदात्मक अनुभव हेतु किसी प्रकार का भारांक या आयु में शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं था।

17. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित हुए और इस प्रकार उन्होंने मूल मानदंडों के अनुसार नियुक्ति हेतु विचार किए जाने का अर्जित अधिकार प्राप्त कर लिया। दिनांक 09.11.2022 की 2022 संशोधन नियमावली द्वारा नियम 8(5) का समावेशन तथा उसका प्रतिगामी अनुप्रयोग, चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में, जब अभिलेख सत्यापन भी पूर्ण हो चुका था, एक विशिष्ट वर्ग के अभ्यर्थियों अर्थात् संविदा पर पूर्व में

कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था कर मेधा सूची को मूलतः परिवर्तित करता है।

18. इस सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया कि खेल प्रारंभ होने के पश्चात् उसके नियमों को बदला नहीं जा सकता। इस संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों—***के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य***[1] तथा ***तेज प्रकाश एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य***[2]—का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् नए पात्रता मानदंड लागू करना अनुमेय नहीं है।

19. यह भी प्रतिपादित किया गया कि संशोधन का प्रतिगामी अनुप्रयोग मनमाना है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन करता है। दिनांक 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव देने के माध्यम से राज्य ने एक पूर्ण हो चुकी चयन प्रक्रिया को पुनः खोलने का प्रयास किया है, जिससे उन मेधावी अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होते हैं, जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हो चुके थे और जिनके पक्ष में अधिकार उत्पन्न हो चुके थे।

<u>उतरदाताओं की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

20. *इसके विपरीत,* राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता श्री अंशुल नारायण ने प्रस्तुत किया कि यह संशोधन एक नीतिगत निर्णय था, जिसका उद्देश्य राज्य में दीर्घ अवधि तक कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवाओं को उचित मान्यता प्रदान करना था। यह भी तर्क दिया गया कि यह संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2021 के ज्ञापन के अनुरूप है, जिसमें नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को भारांक प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

---

1 (2008) 3 एससीसी 512.

2 (2025) 2 एससीसी 1.

21. यह भी कहा गया कि जून-जुलाई 2022 में प्रकाशित मेधा सूची मात्र औपबंधिक थी और उससे नियुक्ति का कोई अविच्छिन्न अधिकार उत्पन्न नहीं होता। सरकार को संविधान के अनुच्छेद 309 तथा उसके उपबंध के अंतर्गत नियम बनाने एवं संशोधित करने की क्षमता प्राप्त है, जिसमें प्रतिगामी संशोधन करने की शक्ति भी सम्मिलित है, ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके अथवा नीतिगत निर्णयों को लागू किया जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर पाई थी, चूँकि नियुक्ति पत्र अभी तक निर्गत नहीं किए गए थे। यह संशोधन मात्र एक अतिरिक्त भारांक प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे संविदा कर्मियों के साथ समानता सुनिश्चित हो सके, और इससे अपीलार्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

नियमों एवं तर्कों का विश्लेषण

22. विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, हमारे विचार में विचारणीय संक्षिप्त प्रश्न यह है कि *क्या 2022 की संशोधन नियमावली को 2019 के विज्ञापनों पर उस स्थिति में लागू किया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी हो तथा औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित हो चुकी हो?*

23. यह विवादित नहीं है कि 2019 के विज्ञापनों के अनुसरण में प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया, विज्ञापन जारी होने की तिथि पर प्रभावी 2019 की नियमावली के अधीन संचालित हुई थी।

24. 2019 की नियमावली के नियम 8, 9, 12 एवं 13 के साधारण अवलोकन से चयन प्रक्रिया की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। नियम 8, 2019 की नियमावली के भाग-II में,

जिसका शीर्षक "प्रत्यक्ष भर्ती" है, स्थित है और यह उन अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करता है जिन्हें प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी की आयु राज्यपाल द्वारा अधिसूचित के अनुसार होनी चाहिए तथा उसका आचरण उत्तम, स्वास्थ्य अच्छा और मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थी किसी एआईसीटीई मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए तथा केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्रियाँ। अभ्यर्थी को इंजीनियर्स संस्था का सहयोगी सदस्य होना चाहिए तथा उसने इंजीनियर्स संस्था या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 'ए' एवं 'एए' परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उक्त नियम के साथ संलग्न टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में औपबंधिक, कार्यवाहक अथवा परिवीक्षा की स्थिति में कार्यरत हैं, वे भी 2019 की नियमावली के अंतर्गत प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पात्र होंगे। 2019 के विज्ञापनों में नियम 8 में निहित पात्रता मानदंड को यथावत (ज्यों का त्यों) बिना किसी परिवर्तन के पुनरुत्पादित किया गया था।

25. नियम 9, 12 एवं 13, 2019 की नियमावली के भाग-III में स्थित हैं, जिसका शीर्षक "नियुक्ति की प्रक्रिया" है। नियम 9 में यह उपबंध है कि बिहार लोक सेवा आयोग प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की घोषणा करेगा तथा नियम 5 एवं 6 के अनुसार ही अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो भर्ती की विधि का प्रावधान करते हैं। यह भी अनिवार्य किया गया है कि उक्त परीक्षा, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार

आयोजित की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर आयोग प्रारंभिक परीक्षा को स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में आयोजित कर सकता है।

26. नियम 12 यह निर्धारित करता है कि नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी विशेष विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर। इसमें यह भी प्रावधान है कि आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता में शिथिलता प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात्, नियम 13 के अनुसार, अभ्यर्थियों के नाम उनके आवेदन पत्रों सहित, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम में आयोग द्वारा क्रमांकित किए जाएंगे तथा ऐसी सूची राज्यपाल के निर्देशानुसार प्रस्तुत की जाएगी।

27. उपर्युक्त नियमों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2019 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। इसका अर्थ यह है कि चयन प्रक्रिया मूलतः तीन चरणों में संपन्न होती है—(i) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन; (ii) लिखित परीक्षा (जिसमें आवश्यकतानुसार प्रारंभिक परीक्षा भी सम्मिलित हो सकती है); (iii) लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। इस पृष्ठभूमि में, 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा मूल्यांकन किया जाना है।

28. 2022 की संशोधन नियमावली में सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को, बिहार राज्य के सभी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी (केंद्रीय सरकार, पंचायत, नगर निकाय) कार्यालयों/संस्थानों में कार्य करने के आधार पर, आयु में शिथिलता तथा चयन में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन नियमावली के "संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रवर्तन" खंड में यह

उल्लेख है कि यह 06.03.2019 से प्रभावी होगी, अर्थात् 2019 की नियमावली के प्रवर्तन की तिथि से ही लागू मानी जाएगी। अतः 2022 की संशोधन नियमावली को 2019 की नियमावली के प्रारंभ से ही लागू कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि विवादित नियम 8(5), जिसका शीर्षक "चयन का आधार" है, को नियम 8 में जोड़ा गया है, जो मूलतः अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रावधान है।

29. अपरिवर्तित 2019 की नियमावली एवं 2019 के विज्ञापनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होना था। संविदात्मक अनुभव हेतु किसी प्रकार के भारांक या आयु में शिथिलता का कोई उल्लेख नहीं था। अपीलार्थियों को इसी आधार पर सूचित किया गया था तथा उन्होंने इन्हीं शर्तों पर चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उनकी चयन प्रक्रिया, लागू 2019 की नियमावली के अनुसार, केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होनी थी, जिसके आधार पर वे औपबंधिक मेधा सूची में स्थान प्राप्त कर चुके थे। इस स्थिति के रहते हुए 2022 की संशोधन नियमावली लागू की गई, जिसके द्वारा अतिरिक्त अंक एवं आयु में शिथिलता का प्रावधान जोड़ा गया।

30. भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता तथा चयन प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पश्चात् पात्रता मानदंड एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में विधि सुव्यवस्थित एवं स्थापित है। **के. मंजुश्री** (उपरोक्त) के वाद में इस न्यायालय ने यह कहा था:

> *"27. न्यूनतम अंक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित किए गए ... यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। खेल के नियम, अर्थात् चयन के मानदंड, संबंधित प्राधिकार द्वारा चयन प्रक्रिया के मध्य या उसके प्रारंभ हो जाने के पश्चात् परिवर्तित नहीं किए जा सकते।"*

31. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **तेज प्रकाश पाठक** (उपरोक्त) में ***के. मंजुश्री*** (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुमोदन किया तथा यह प्रतिपादित किया कि यदि प्रासंगिक नियम सक्षम प्राधिकारी को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर मानक निर्धारित करने की अनुमति देते हों, तब भी ऐसे मानक संबंधित चरण के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित किए जाने चाहिए।

> ***"52.*** *अतः हमारे मत में, नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, विपरीत प्रावधान के अभाव में, पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है तथा ऐसा करते समय वह भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित हैं, के लिए मानक भी निर्धारित कर सकता है। किन्तु यदि ऐसे कोई मानक निर्धारित किए जाते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि विद्यमान नियम अथवा आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर मानक निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है, तो ऐसे मानक संबंधित चरण के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि न तो अभ्यर्थी और न ही परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/साक्षात्कारकर्ता किसी प्रकार से आश्चर्यचकित हों।*
>
> ***53.*** *के. मंजुश्री [के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008) 3 एससीसी 512 : (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] के फ़ैसले में भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए बेंचमार्क तय करने पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि यह ज़रूरी किया गया है कि बेंचमार्क उस चरण के खत्म होने के बाद तय न किए जाएँ—दूसरे शब्दों में, तब नहीं जब खेल पहले ही खेला जा चुका हो। यह*

नज़रिया संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मनमानी के खिलाफ़ नियम के मुताबिक है; यह उम्मीदवारों की जायज़ उम्मीदों को पूरा करता है, साथ ही सरकारी सेवाओं में भर्ती में पारदर्शिता की ज़रूरत को भी पूरा करता है, और इस तरह चयन सूची तैयार करने में होने वाली गड़बड़ियों को रोकता है।

32. संविधान पीठ ने ***तेज प्रकाश पाठक*** (उपरोक्त) में संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित रूप में दिया:

"निष्कर्ष

***65.** हम निम्नलिखित रूप में संदर्भ का उत्तर देते हैं:*

***65.1.** भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी होने से प्रारंभ होती है और रिक्तियों की पूर्ति के साथ समाप्त होती है;*

***65.2.** चयन सूची में स्थान पाने के लिए पात्रता मानदंड, जो भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित किए गए हों, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के मध्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब तक कि विद्यमान नियम इसकी अनुमति न दें, अथवा ऐसा विज्ञापन, जो विद्यमान नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न देता हो। यदि ऐसा परिवर्तन नियमों या विज्ञापन के अंतर्गत अनुमेय भी हो, तो भी वह संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए तथा मनमानी से मुक्त होना चाहिए;*

***65.3**. सुभाष चंदर मारवाहा [हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा, (1974) 3 एस.सी.सी. 220 : 1973 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 488]। सुभाष चंदर मारवाहा [हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा, (1974) 3*

एस.सी.सी. 220 : 1973 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 488] चयन सूची से नियुक्त किए जाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि के. मंजुश्री [के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008) 3 एस.सी.सी. 512 : (2008) 1 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 841] चयन सूची में स्थान प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। अतः दोनों प्रकरण पूर्णतः भिन्न प्रश्नों से संबंधित हैं;

***65.4.** भर्ती निकाय, विद्यमान नियमों के अधीन रहते हुए, भर्ती प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने हेतु उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते वह प्रक्रिया पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण/गैर-मनमानी हो तथा उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध हो;*

***65.5.** विधिक बल रखने वाले विद्यमान नियम भर्ती निकाय पर प्रक्रिया तथा पात्रता दोनों के संदर्भ में बाध्यकारी होते हैं। तथापि, जहाँ नियम अनुपस्थित हों या मौन हों, वहाँ प्रशासनिक निर्देश उस रिक्ति को भर सकते हैं;*

***65.6.** चयन सूची में स्थान प्राप्त होने से नियुक्ति का कोई अविच्छिन्न अधिकार उत्पन्न नहीं होता। राज्य या उसकी एजेंसी, सच्चे कारणों से, रिक्तियों को न भरने का निर्णय ले सकती है। तथापि, यदि रिक्तियाँ विद्यमान हों, तो राज्य या उसकी एजेंसी चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकती।"*

33. ***तेज प्रकाश पाठक*** (उपर्युक्त) में संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ***पार्थ दास बनाम त्रिपुरा राज्य***[3] में लागू किया गया, एक ऐसे निर्णय में जिसमें हममें से एक, जे.के. महेश्वरी, न्यायाधीश ने, उस चुनौती का परीक्षण करते हुए जो अभ्यर्थियों द्वारा त्रिपुरा

---

3 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1844.

सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध लाई गई थी जिसके द्वारा औपबंधिक मेधाक्रम सूची के प्रकाशन के पश्चात्, वर्ग-चतुर्थ पदों की भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त करने के राज्य के कार्यकारी निर्देश के अनुसरण में, चल रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया था, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

*"**47.** उक्त दोनों विज्ञापनों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया उनके निर्गमन की तिथि से प्रारंभ हुई। पुनरुक्ति के जोखिम के साथ, यह उल्लेखनीय है कि इस प्रारंभ के पश्चात् काफी प्रगति हो चुकी थी। राज्य ने ठोस एवं सक्रिय कदम उठाए थे, जैसे कि भर्ती बोर्ड का गठन, विभिन्न राज्यों में भर्ती रैलियों का आयोजन, अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। उक्त प्रक्रिया के आधार पर एक औपबंधिक मेधा सूची भी तैयार की गई थी। इन सभी चरणों के पश्चात्, दिनांक 20.08.2018 को निरस्तीकरण ज्ञापन जारी किया गया, जिसने संपूर्ण प्रक्रिया को शून्य कर दिया।*

***48.** उक्त निरस्तीकरण का आधार, जैसा कि त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह था कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि भविष्य की ही नहीं, बल्कि प्रचलित भर्ती प्रक्रियाएँ भी राष्ट्रीय भर्ती नीति के अधीन संचालित होंगी। वर्तमान वाद में इसका प्रभाव यह था कि 'एनरोल्ड फॉलोअर' जैसे समूह-'डी' पदों के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, जबकि वर्तमान प्रकरण में साक्षात्कार का चरण पहले ही पूर्ण हो चुका था।*

***49.** इस न्यायालय ने तेज प्रकाश पाठक (उपरोक्त) में के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय का अनुमोदन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि भर्ती प्राधिकारी, नियमों के अभाव में, चयन की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है, किन्तु*

यह कार्य भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही किया जाना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए मानक निर्धारित किए जाने हैं, तो उन्हें संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब खेल पहले ही खेला जा चुका हो।" उक्त निर्णय का सुसंगत भाग निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जाता है:—

> *"**52.** अतः हमारे मत में, नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, विपरीत प्रावधान के अभाव में, पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है तथा ऐसा करते समय वह भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जिनमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित हैं, के लिए मानक भी निर्धारित कर सकता है। किन्तु यदि ऐसे कोई मानक निर्धारित किए जाते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि विद्यमान नियम अथवा आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर मानक निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है, तो ऐसे मानक संबंधित चरण के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि न तो अभ्यर्थी और न ही परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित हों।*
>
> ***53.** के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008) 3 एस.सी.सी. 512 : (2008) 1 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 841 में दिया गया निर्णय भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए मानदंड निर्धारित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह अनिवार्य करता है कि उसे उस चरण के पूर्ण होने*

के पश्चात् निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, अन्य शब्दों में जब प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी हो। यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित मनमानी के विरुद्ध नियम के अनुरूप है तथा अभ्यर्थियों की वैध अपेक्षा को भी संतुष्ट करता है, साथ ही लोक सेवाओं में भर्ती की पारदर्शिता की आवश्यकता को पूर्ण करता है और इस प्रकार चयन सूची की तैयारी में कदाचार को रोकता है।"

***50.** वर्तमान वाद में न केवल मानक खेल समाप्त होने के पश्चात् निर्धारित किए जा रहे हैं, बल्कि राज्य ने यह भी निर्णय लिया है कि खेल का एक भाग, अर्थात् साक्षात्कार की प्रक्रिया, किया ही नहीं जाना चाहिए था। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, टीएसआर नियमों के नियम 24(ई) के अनुसार, पुलिस महानिदेशक द्वारा साक्षात्कार को एक अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन एवं क्रम निर्धारण किया गया। यह स्पष्ट है कि साक्षात्कार का चरण निरस्तीकरण ज्ञापन जारी होने से काफी पहले पूर्ण हो चुका था।"*

34. वर्तमान वाद में "खेल" न केवल प्रारंभ हो चुका था, बल्कि अपने अंतिम चरण में था। लिखित परीक्षाएँ मार्च 2022 में आयोजित हुईं, परिणाम जून/जुलाई 2022 में घोषित किए गए तथा अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया। इस अवस्था तक चयन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी थी और रिक्तियों की पूर्ति के साथ उसका समापन होना था।

35. 06.03.2019 से प्रतिगामी प्रभाव के साथ नियम 8(5) को सम्मिलित करते हुए 2022 की संशोधन नियमावली का निर्गमन, उस "खेल" के नियमों को पुनर्लेखित करने का

प्रयास है जो पहले ही प्रारंभ हो चुका था। लिखित परीक्षा के भारांक को 100 में से 75 अंक तक सीमित करना तथा संविदात्मक अनुभव हेतु 25 अंक जोड़ना, चयन के आधार को मूलतः परिवर्तित करता है और 'मेधा सूची में स्थान पाने की पात्रता' को बदल देता है, जो अनुमेय नहीं है।

36. यद्यपि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत नियमों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, तथापि यह शक्ति असीमित नहीं है। प्रतिगामी विधिनिर्माण की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि अर्जित अधिकारों का हनन हो अथवा ऐसी चयन प्रक्रिया को, जिसमें औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन द्वारा सफल अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है, मनमाने ढंग से बाधित किया जाए।

37. उतरदाताओं द्वारा मेधा सूची के "औपबंधिक" स्वरूप के संबंध में किया गया भेद स्वीकार्य नहीं है। यह सूची केवल अभिलेख सत्यापन के अधीन औपबंधिक थी, न कि मेधा सूची में स्थान निर्धारण के मूल मानदंडों में परिवर्तन के अधीन। जब कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर, उस समय प्रचलित नियमों एवं विज्ञापन के अनुरूप निर्धारित मानदंडों के आधार पर मेधा सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है, तब यह उसकी वैध अपेक्षा होती है कि चयन उसी मानदंड के आधार पर अंतिम रूप से संपन्न होगा।

38. नियम 8(5) का प्रतिगामी अनुप्रयोग ऐसी विसंगति उत्पन्न करता है, जिसमें अभ्यर्थियों ने एक नियमावली के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा की, परंतु अब उनका मूल्यांकन भिन्न नियमों के अधीन, पश्चात् प्रभाव से किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अपीलार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि वे मेधा सूची में नीचे खिसक सकते हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्णतः बाहर किए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हों, परंतु संविदात्मक सेवा हेतु नए जोड़े गए अतिरिक्त अंकों का लाभ प्राप्त किया हो।

39. सामान्य प्रशासन विभाग के 2018 एवं 2021 के ज्ञापनों के संबंध में प्रस्तुत तर्क पर भी विचार किया गया। यद्यपि ये संकल्प भारांक प्रदान करने की नीति को दर्शाते हैं, तथापि ये मात्र कार्यपालिका निर्देश हैं। विवादित भर्ती प्रक्रिया वैधानिक 2019 नियमावली द्वारा शासित थी, जिसमें उक्त संकल्पों को 2019 के विज्ञापनों के समय सम्मिलित नहीं किया गया था। राज्य कार्यपालिका निर्देशों का सहारा लेकर उस वैधानिक नियमावली को अधिलंघित नहीं कर सकता जो भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ के समय प्रभावी थी, विशेषकर तब जब अभ्यर्थियों को ऐसे भारांक या आयु शिथिलता की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि 2019 के विज्ञापनों में इन संकल्पों के लागू होने का कोई संकेत नहीं था; बाद में जब चुनौती दी गई, तभी राज्य ने इनका सहारा लिया, जो एक पश्चविचारित तर्क है और असंगत है।

40. यह स्थापित विधि है कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने अथवा मेधा सूची में स्थान प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का कोई अविच्छिन्न अधिकार उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि ***शंकरसन दास बनाम भारत संघ***[4] सहित अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। तथापि, लिखित परीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात्, उस समय प्रचलित नियमों के विपरीत, मेधा सूची में स्थान निर्धारण के पात्रता मानदंड को परिवर्तित करना इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान वाद में यदि 2022 की संशोधन नियमावली के अंतर्गत अतिरिक्त अंक एवं आयु शिथिलता प्रदान की जाती है, तो इससे 2019 के विज्ञापनों के अधीन तैयार की गई औपबंधिक मेधा सूची का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। ऐसी कार्यवाही युक्तिसंगत एवं गैर-मनमानी होनी चाहिए। यद्यपि राज्य ने यह तर्क दिया कि संविदा सहायक अभियंताओं को अतिरिक्त अंक एवं आयु शिथिलता प्रदान करना व्यापक लोकहित में लिया गया निर्णय है, तथापि यह तर्क 2022 की संशोधन

4 (1991) 3 एससीसी 47.

नियमावली के प्रवर्तन को तो उचित ठहरा सकता है, परंतु इसे 2019 के विज्ञापनों के अंतर्गत प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू करने का औचित्य सिद्ध नहीं करता। एक बार परीक्षा आयोजित हो जाने के पश्चात्, इस स्तर पर चयन के मानदंडों में परिवर्तन से कोई सार्वजनिक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।

41. अतः, वर्तमान वाद के तथ्यों में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि संशोधन मात्र एक नीतिगत निर्णय था और इसे प्रचलित चयन प्रक्रिया पर प्रतिगामी रूप से लागू किया जा सकता है, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। यह मान भी लिया जाए कि 2022 की संशोधन नियमावली राज्य का नीतिगत निर्णय है, तब भी इसे इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, विशेषकर तब जब चयन प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी हो।

42. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, हमारे विचार में 2019 की नियमावली के नियम 8(5) का, जिसे 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा जोड़ा गया, प्रतिगामी अनुप्रयोग उस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में टिकाऊ नहीं है, जो 2019 के विज्ञापनों के तहत उस समय प्रभावी 2019 की नियमावली के अनुसार प्रारंभ की गई थी।

43. उपर्युक्त के आधार पर, वर्तमान वाद में अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि 2019 के विज्ञापनों के अनुसरण में प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया को उसी 2019 की नियमावली के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जो विज्ञापन की तिथि पर प्रभावी थी, अर्थात् 2022 की संशोधन नियमावली द्वारा संविदात्मक अनुभव हेतु प्रदान किए गए भारांक एवं आयु शिथिलता को ध्यान में रखे बिना। अतः अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा नियुक्तियाँ इस निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर पूर्ण की जाएँगी।

44. फलतः, पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 18302 में पारित दिनांक 05.07.2023 का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। उतरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे जून/जुलाई 2022 में प्रकाशित मेधा सूचियों के आधार पर, 2019 की अप्रसंशोधित नियमावली का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दें।

45. यह अवगत कराया गया है कि राज्य ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के अनुपालन में कुछ नियुक्तियाँ कर दी हैं, जो अब अपास्त हो चुकी हैं; तथापि, उनकी सेवाएँ विधि के अनुसार समाप्त की जा सकती हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बिहार राज्य ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएँ जारी रखना चाहे, और वे उपयुक्त पाए जाएँ, तो उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अथवा अतिरिक्त पदों का सृजन कर, बिना उपर्युक्त मेधा सूची को प्रभावित किए, ऐसा किया जा सकता है।

46. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

<u>2025 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 8231</u>

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका उस अंतरिम आदेश दिनांक 13.02.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2025 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 18429 में पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को *अनिश्चित काल* के लिए स्थगित कर दिया गया। उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है—

> *"4. यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में 2022 की सीडबल्यूजेसी सं. 18302, शीर्षक* ***अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** *में*

विचाराधीन था, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 05.07.2023 के निर्णय द्वारा न केवल संशोधन की वैधता को, बल्कि अंकों को 100 के पैमाने पर लाने हेतु विकसित सूत्र को भी स्वीकार किया था। ऐसा सूत्र इसलिए आवश्यक था क्योंकि अधिकतम 25 अंक भारांक के रूप में दिए जाने थे, जिसकी गणना औपबंधिक आधार पर एक वर्ष की सेवा के लिए पाँच अंकों के आधार पर की जानी थी।

5. उक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या 22323/2023 में चुनौतीधीन है।

6. वर्तमान याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि न केवल भारांक का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है तथा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत है, बल्कि अंकों को 100 के पैमाने पर परिवर्तित करने की पद्धति भी विसंगतिपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर रही है।

7. हमें आशंका है कि ऐसे आपत्तियाँ इस चरण पर नहीं उठाई जा सकतीं, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठ पहले ही 2019 की नियमावली में संशोधन तथा अंकों की गणना हेतु विकसित सूत्र को स्वीकार कर चुकी है।

8. चूँकि यह विषय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस समय इसका निर्णय नहीं किया जा सकता।

9. अतः यह वाद उपर्युक्त विशेष अनुमति याचिका संख्या 22323/2023 के निर्णय के पश्चात् सूचीबद्ध किया जाए।"

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका 2022 की संशोधन नियमावली की वैधता, विशेषतः नियम 8(5) के समावेशन तथा उसमें निर्धारित अंकों के वितरण की पद्धति को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

3. चूँकि हमने 2023 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22323 से उत्पन्न दीवानी अपील का आज निर्णय कर दिया है, जिसमें हमारे परीक्षण का दायरा केवल 2022 की संशोधन नियमावली की 2019 के विज्ञापनों पर लागूता तक सीमित था, अतः यह उपयुक्त होगा कि उच्च न्यायालय को 2025 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 18429 का मेधा के आधार पर निर्णय करने हेतु निर्देशित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दीवानी अपील में हमने नियम 8(5) या 2022 की संशोधन नियमावली की वैधता पर विचार नहीं किया है, और वहाँ व्यक्त किए गए विचार किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेंगे तथा सभी तर्क खुले रहेंगे।

4. उपर्युक्त के आलोक में, यह विशेष अनुमति याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि उच्च न्यायालय 2025 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं 18429 का विधि अनुसार निर्णय करेगा।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

वाद का परिणाम: 2026 की दीवानी अपील सं. 54 स्वीकृत की जाती है।

2025 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 8231 निस्तारित की जाती है।

निर्णय सार लेखन: अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।